



AI के संबंध में यूरोपीय संघ का ऐतिहासिक कानून

प्रलिस के लिये:

यूरोपीय संघ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फेशियल रकिगनशिन टेक्नोलॉजी, जेनरेटिव एआई, सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी

मेन्स के लिये:

AI वनियमन के लिये वभिन्न वैश्विक दृष्टिकोण, AI वनियमन के लिये यूरोपीय संघ फ्रेमवर्क के प्रमुख घटक, AI वनियमन के संबंध में भारत की रणनीति

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [यूरोपीय संघ](#) (EU), [कृत्रिम बुद्धिमत्ता](#) (AI) के उपयोग को पूर्ण रूप से वनियमित करने के उद्देश्य से व्यापक कानून बनाने वाला पहला महाद्वीपीय राष्ट्र बन गया है।

- यूरोपीय संघ की प्रस्तावित रूपरेखा पर वर्ष 2024 की शुरुआत में संसदीय मतदान किया जाएगा, जो संभावित रूप से वर्ष 2025 तक लागू हो जाएगी।

AI वनियमन के लिये यूरोपीय संघ (EU) फ्रेमवर्क के प्रमुख घटक क्या हैं?

- सुरक्षा उपाय संबंधी कानून:
 - उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण: यह व्यक्तियों को AI के कथित उल्लंघन के खिलाफ शिकायत करने में सक्षम बनाएगा, साथ ही, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा AI के उपयोग को लेकर स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।
 - AI पर सख्त सीमाएँ: फेशियल रकिगनशिन टेक्नोलॉजी और मानव व्यवहार में AI परचालन को लेकर सख्त प्रतिबंध।
 - उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान: नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाली कंपनियों के लिये कड़े दंड का प्रावधान।
 - सीमिति बायोमेट्रिक निगरानी: इसमें सरकारों को केवल आतंकवादी हमलों जैसे गंभीर खतरों के मामलों में सार्वजनिक क्षेत्रों में रयिल टाइम बायोमेट्रिक निगरानी के उपयोग करने की अनुमति की बात की गई है।
- AI अनुप्रयोगों का वर्गीकरण:
 - चार जोखिम वर्ग: AI अनुप्रयोगों को उनके जोखिम के स्तर और आक्रामकता के आधार पर चार जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
 - प्रतिबंधित अनुप्रयोग: वृहत पैमाने पर फेशियल रकिगनशिन और व्यवहार नियंत्रण के लिये AI अनुप्रयोगों को बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, सविय क उनका उपयोग कानून प्रवर्तन के लिये न किया जा रहा हो।
 - उच्च जोखिम वाले अनुप्रयोग: इसे सेल्फ-ड्राइविंग ऑटोमोबाइल के लिये AI टूल सहित पारदर्शी बैकएंड तकनीकों के लिये प्रमाणन और प्रावधानों के साथ अनुमोदित किया गया है।
 - मध्यम स्तर के जोखिम वाले एप्लीकेशन बना किसी प्रतिबंध के लॉन्च किये जा सकते हैं, जैसे जेनरेटिव एआई का उपयोग करने वाले चैटबॉट, जसिमें AI इंटरैक्शन, पारदर्शिता की अनिवार्यता एवं वसितृत तकनीकी दस्तावेजीकरण के बारे में उपयोगकर्ताओं द्वारा स्पष्ट प्रकटीकरण प्रदान किया गया हो।
- नयिमन संबंधी यूरोपीय संघ की अन्य उपलब्धियाँ:
 - सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन (General Data Protection Regulation- GDPR) कार्यान्वयन: डेटा प्रोसेसिंग के लिये गोपनीयता और स्पष्ट सहमतिको ध्यान में रखते हुए इसे मई 2018 से लागू किया गया है।
 - उप-कानून: DSA और DMA:
 - डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA): यह नफरती भाषण, नकली सामानों के क्रय-विक्रय को वनियमित करने पर केंद्रित है।
 - डिजिटल बाज़ार अधिनियम (DMA): यह "प्रमुख सुरक्षाकर्ता" प्लेटफॉर्मों की पहचान करने और गैर-प्रतस्पर्द्धी प्रथाओं एवं प्रभुत्व के दुरुपयोग जैसे समाधानों से संबंधित है।

AI वनियमन के लिये वैश्विक स्तर पर वभिन्न रणनीतियाँ क्या हैं?

- **EU:** सख्त रुख, आक्रामकता और जोखिम के आधार पर AI का वर्गीकरण।
- **यूनाइटेड किंगडम:** AI में नवाचार को बढ़ावा देने वाला 'लाइट-टच' दृष्टिकोण।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** यहाँ के नियम सख्त वनियमन और नवाचार समर्थन के बीच स्थिति है।
- **चीन:** अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसने AI वनियमन के लिये अपने स्वयं के उपाय लागू किये हैं।

AI वनियमन के संबंध में भारत की क्या रणनीति है?

- **भारत का रुख:**
 - भारत के पास अभी भी AI वनियमन को लेकर एक व्यापक ढाँचा नहीं है। हालाँकि भारत इसके वनियमन पर वचार के रुख के स्थान पर जोखिम-आधारित, उपयोगकर्ता-नुकसान दृष्टिकोण के आधार पर सक्रिय रूप से नियम तैयार कर रहा है।
- **समावेशी और उत्तरदायित्वपूर्व AI को प्रोत्साहन:**
 - #AIFORALL समावेशिता पर केंद्रित भारत की प्रारंभिक राष्ट्रीय AI रणनीति है, इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था।
 - AI के लिये नीति आयोग की राष्ट्रीय रणनीति (2018) में उत्तरदायित्वपूर्व AI के संबंध में एक अध्याय शामिल है।
 - वर्ष 2021 में नीति आयोग ने 'उत्तरदायित्वपूर्व AI का सिद्धांत' नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इसमें AI संबंधी सात व्यापक सिद्धांतों की गणना की गई: समानता, सुरक्षा और विश्वसनीयता, समावेशिता तथा गैर-भेदभाव, पारदर्शिता, जवाबदेही, गोपनीयता एवं सकारात्मक मानव मूल्यों का सुदृढीकरण।
 - मार्च 2023 में **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** ने AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम **IndiaAI** की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य AI से संबंधित सभी अनुसंधान एवं नवाचारों को शामिल करने हेतु एक व्यापक पहल के रूप में कार्य करना है।
 - जुलाई 2023 में **भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण** ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें **"जोखिम-आधारित ढाँचे"** के आधार पर AI को वनियमित करने के लिये एक घरेलू वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करने एवं कई सरकारी विभागों, विशेषज्ञ सदस्यों वाले एक सलाहकार निकाय के गठन की सिफारिश की गई थी।

भारत में प्रमुख क्षेत्र-वशिष्ट AI फ्रेमवर्क:

- **स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र:**
 - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने जून 2023 में बायोमेडिकल अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में AI के अनुप्रयोग के संबंध में नैतिक दिशा-निर्देश जारी किये।
- **पूंजी बाजार:**
 - SEBI ने नीतियों का मार्गदर्शन करने और पूंजी बाजार में AI प्रणाली के लिये एक सूची तैयार करने हेतु जनवरी 2019 में एक परिपत्र जारी किया था।
- **शिक्षा क्षेत्र:**
 - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** में स्कूली पाठ्यक्रमों में AI संबंधी जागरूकता को एकीकृत करने की सिफारिश की गई है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी (GPAI):

- यह 28 देशों और यूरोपीय संघ का एक मंच है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी चुनौतियों और अवसरों को समझने तथा इसके उत्तरदायित्वपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिये एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं।
 - वर्ष 2020 में भारत इसके संस्थापक सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ।
 - नवंबर 2022 में भारत को प्रथम वरीयता के दो-तह्राई से अधिक वोट मिले और उसे GPAI की इनकमिंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत वर्ष 2022-23 में आगामी सहायक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है। भारत 12 दिसंबर, 2023 को वर्ष 2023-24 के लिये लीड चेयर के रूप में कार्यभार संभाल रहा है और वर्ष 2024-25 में आउटगोइंग सपोर्ट चेयर के रूप में कार्य करेगा।
 - चीन GPAI का सदस्य नहीं है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[[[?/?/?/?/?/?/?/?/?]]]:

प्रश्न. विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) नमिनलखिति में से कसि कार्य को प्रभावी रूप से कर

सकती है? (2020)

1. औद्योगिक इकाइयों में वदियुत की खपत कम करना
2. सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना
3. रोगों का नदिन
4. टेक्स्ट-से-स्पीच (Text-to-Speech) में परिवर्तन
5. वदियुत ऊर्जा का बेतार संचरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2, 3 और 5
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

अनुच्छेद 370 हटाने पर सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय

प्रलिमिंस के लिये:

[अनुच्छेद 370](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [वशिष दर्जा](#), [केंद्रशासति प्रदेश](#), [असममति संघवाद](#), [भारत की संवधिान सभा](#), [परगिरहण पत्र](#), [अनुच्छेद 371](#), [371A- I](#), [अनुच्छेद 367](#), [वधिानसभा](#) ।

मेन्स के लिये:

[केंद्रशासति प्रदेश जममू-कश्मीर](#) की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय की प्रासंगकिता ।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने संवधिान के [अनुच्छेद 370](#) में संशोधन करने के केंद्र सरकार के वर्ष 2019 के कदम पर अपना नरिणय सुनाया । इस नरिसन ने पूर्ववर्ती राज्य जममू-कश्मीर को प्रदत्त वशिष दर्जा समाप्त कर दिया था । न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने वाले संवधिानकि आदेश को वैध माना ।

सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला क्या है?

■ जममू-कश्मीर के पास संप्रभुता नहीं थी:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 और जममू-कश्मीर के संवधिान में इस बात को दर्शाने के लिये बहुत सारे सबूत हैं कि कश्मीर के संबंध में अपनी संप्रभुता को छोड़ने के लिये वलिय समझौता आवश्यक नहीं था ।
- [अनुच्छेद 370\(1\)](#) भारत के संवधिान के [अनुच्छेद 1](#) (जहाँ जममू-कश्मीर को भाग III राज्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था) को बनिा किसी संशोधन के लागू करता है ।

- जममू-कश्मीर संवधिान की धारा 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "जममू-कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा ।"
- भारतीय संवधिान की धारा 147 ने धारा 3 में किसी भी संशोधन पर रोक लगा दी, जिससे प्रावधान पूर्ण हो गया ।
 - इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि भारत का संवधिान "देश का सर्वोच्च प्रशासकीय दस्तावेज है ।" इसके अलावा जममू-कश्मीर संवधिान की प्रस्तावना में "संप्रभुता के संदर्भ का स्पष्ट अभाव" दिखाता है ।

■ अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है:

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भरोसा किया कि संवधिान निर्माताओं ने अनुच्छेद 370 को भाग XXI में नहिाि अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों के साथ रखा था ।
- फरि इसने बताया कि वलिय पत्र (LoA) ने इसे "बहुत हद तक स्पष्ट" कर दिया है कि अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है कि "इंडिया जो

कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा", पूरी तरह से जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है।

■ राष्ट्रपति शासन के तहत उद्घोषणा की संवैधानिक वैधता:

- सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने सहमत व्यक्ति की किराष्ट्रपति के पास "राज्य वधानसभा के वधितन करने सहति अपरविरतनीय परविरतन" करने की शक्ति है एवं राष्ट्रपति की शक्तियों को "न्यायिक और संवैधानिक जाँच" द्वारा नयितरति रखा जाता है।

■ जम्मू-कश्मीर का संवधान नषिकरयि है:

- न्यायालय ने माना कि अब जम्मू-कश्मीर के संवधान का अस्तित्व में रहना आवश्यक नहीं है, इसके माध्यम से भारतीय संवधान के केवल कुछ प्रावधान ही जम्मू-कश्मीर पर लागू होते हैं।
 - भारत के संवधान को संपूर्ण रूप से जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू करने का अंतरनहिति लेकनि आवश्यक परणाम यह है कि राज्य का संवधान नषिकरयि है।

■ मानवाधिकारों के प्रावधान के लिये एक सत्य और सुलह आयोग का गठन:

- सर्वोच्च न्यायालय ने सफिरशि की कि संघ राज्य और गैर-राज्य दोनों अभकिरत्ताओं द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच के लिये एक "सत्य और सुलह आयोग" स्थापति किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद के बाद राज्य और गैर-राज्य दोनों पक्षों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच की। इस आयोग का प्रयोग समयबद्ध होना चाहिये।

जम्मू-कश्मीर का वशेष दर्जा क्या था?

■ परिचय:

- 5 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संवधान के अनुच्छेद 370(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संवधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 जारी किया।
 - इसके जरयि भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 में ही संशोधन किया है (उसे रद्द नहीं किया है)।
- इसके द्वारा भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य तथा भारतीय संघ के बीच संबंधों में नाटकीय रूप से बदल दिया है।

■ पृष्ठभूमि:

- जम्मू-कश्मीर को छूट प्रदान करते हुए 17 अक्टूबर, 1949 को एक 'अस्थायी प्रावधान' के रूप में अनुच्छेद 370 को भारतीय संवधान में शामिल किया गया, इससे जम्मू-कश्मीर को अपना संवधान बनाने की अनुमति प्राप्त हुई और राज्य में भारतीय संसद की वधायी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतबिंधति लगा दिया गया।
 - इसे एन गोपालस्वामी अयंगर ने संवधान के मसौदे में अनुच्छेद 306A के रूप में पेश किया था।

■ अनुच्छेद 370:

- भारतीय संवधान के कौन-से अनुच्छेद राज्य पर लागू होने चाहिये इसकी सफिरशि करने का अधिकार जम्मू-कश्मीर की संवधान सभा को प्रदान किया गया।
 - राज्य के संवधान का मसौदा तैयार करने के पश्चात् जम्मू-कश्मीर संवधान सभा को भंग कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 का खंड 3 भारत के राष्ट्रपति को इसके प्रावधानों और दायरे में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 35A का स्रोत अनुच्छेद 370 है और इसे जम्मू-कश्मीर संवधान सभा की सफिरशि पर वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से पेश किया गया था।
 - अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर वधानसभा को राज्य के स्थायी नवासियों और उनके वशेष अधिकारों तथा वशेष लाभों को परभाषति करने का अधिकार देता है।
 - यह भारत के संवधान के परशिष्टि। में परलिक्षति होता है।
- कई राज्यों को अलग-अलग संवैधानिक गारंटी प्रदान की गई है। इन्हें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिये अनुच्छेद 371, 371A- I में संहतिबद्ध किया गया है।

नोट:

भारतीय संवधान शेष भारत के लिये संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य की शक्ति को बढ़ाने अथवा उस पर अंकुश लगाने के लिये अनुच्छेद 367 में एक वसितुत प्रकरयि नरिधारति करता है। हालाँकि जम्मू-कश्मीर के लिये संवधान में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 370 के तहत केवल कार्यकारी कार्रवाई ही पर्याप्त होगी।



वर्ष 2019 के आदेश द्वारा किये गए प्रमुख परिवर्तन क्या हैं?

■ संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019:

- वर्ष 1954 के राष्ट्रपति आदेश को संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 द्वारा प्रतस्थापित कर दिया गया है।
 - इसके बाद संसद द्वारा पारित [जम्मू और कश्मीर पुनर्रगठन अधिनियम \(2019\)](#) जम्मू तथा कश्मीर राज्य को दो नए केंद्रशासित प्रदेशों (UT): जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करता है।
- ऐसा पहली बार है कि किसी राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में बदल दिया गया है।
 - वर्तमान में जम्मू-कश्मीर राज्य की छह लोकसभा सीटों में से पाँच केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पास रहेंगी, जबकि एक का आवंटन लद्दाख को किया जाएगा।
- दिल्ली और पुद्दुचेरी की तरह ही केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में एक विधानसभा होगी।
 - लद्दाख बना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा।
 - कश्मीर में अब राज्यपाल नहीं, बल्कि दिल्ली अथवा पुद्दुचेरी की तरह एक उपराज्यपाल होगा।

■ जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा:

- जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल छह वर्ष का नहीं, बल्कि पहले की ही तरह पाँच वर्ष का होगा।
- जम्मू-कश्मीर 2019 अधिनियम की धारा 32 में प्रस्तावित है कि विधानसभा "सार्वजनिक व्यवस्था" और "पुलिस" से संबंधित राज्य के विषयों को छोड़कर राज्य तथा समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
 - यह [संविधान के अनुच्छेद 239A](#) के समान है जो केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी तथा दिल्ली पर लागू होता है।
- हालाँकि [अनुच्छेद 239AA](#) के सम्मिलन तथा [69वें संविधानिक संशोधन](#) के आधार पर दिल्ली विधानसभा राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के मामलों, अर्थात् भूमि पर कानून नहीं बना सकती है।
 - जम्मू-कश्मीर के मामले में विधानसभा भूमि पर कानून बना सकती है।

■ जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त:

- जम्मू-कश्मीर का अब कोई अलग संविधान, झंडा अथवा राष्ट्रगान नहीं होगा।
- जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता नहीं होगी।
- चूँकि जम्मू-कश्मीर का नया केंद्रशासित प्रदेश भारतीय संविधान के अधीन होगा, इसलिये इसके नागरिकों को अब भारतीय संविधान में नहित मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे।
- [अनुच्छेद 360](#), जिसका उपयोग वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिये किया जा सकता है, अब भी लागू होगा।
- संसद द्वारा पारित सभी कानून जम्मू-कश्मीर में लागू होंगे, जिनमें [सूचना का अधिकार अधिनियम](#) तथा [शिक्षा का अधिकार अधिनियम](#) भी शामिल हैं।
- [भारतीय दंड संहिता](#), जम्मू-कश्मीर की रणबीर दंड संहिता की जगह लेगी।
- [अनुच्छेद 35A](#), जो [अनुच्छेद 370](#) के प्रावधानों से उत्पन्न हुआ है, अमान्य है।

नोट:

जम्मू-कश्मीर का संघ के साथ ऐतिहासिक रूप से एक अखंड रश्ता रहा है। जम्मू-कश्मीर तथा संघ के बीच कोई विलय समझौता नहीं हुआ था, बल्कि यह केवल [विलय पत्र \(इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन- IoA\)](#) था, इसलिये संप्रभुता का कोई हस्तांतरण नहीं है एवं राज्य की स्वायत्तता का प्रावधान था। IoA बाह्य संप्रभुता से संबंधित है। कुछ अपवादों के अतिरिक्त बाह्य संप्रभुता समाप्त हो गई है। [CJI](#) ने हालिया नरिण्य में कहा कि IoA पर हस्ताक्षर के बाद

जम्मू-कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है।

अनुच्छेद 370 के नरिाकरण में वभिन्न वधिकि चुनौतियाँ क्वा थीं?

■ सांवधानिकि चुनौतियाँ:

- राष्ट्रपति के आदेश में जम्मू-कश्मीर की वशिष स्थिति को समाप्त करने की मांग की गई थी, **अनुच्छेद 370 (3) के अनुसार**, राष्ट्रपति को इस तरह के बदलाव के लिये **जम्मू-कश्मीर की संवधान सभा की अनुशंसा की आवश्यकता** होगी।
- हालाँकि वर्ष 2019 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 367 में एक उप-खंड जोड़ा गया, जो नमिनलखिति पदों को प्रतस्थापति करता है:
 - "जम्मू-कश्मीर की संवधान सभा" का आशय "जम्मू-कश्मीर की वधानसभा" से है।
 - "जम्मू-कश्मीर सरकार" का तात्पर्य "जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल का मंत्रपरिषद की सहायता एवं सलाह पर कार्य करने" से है।
- सरकार ने सांवधानिकि संशोधन लाए बना अनुच्छेद 370 के तहत स्वायत्तता को कम करने की मांग की, जिसके लिये संसद में दो-तहिाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- इस प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई कि इसने केवल राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारतीय संवधान में अनुच्छेद 35A को जोड़ा।
- जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासति प्रदेश में बदलना **अनुच्छेद 3** का उल्लंघन है क्योंकि राज्य वधानसभा द्वारा वधियक को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा गया था।
- राज्य के पुनर्गठन में राष्ट्रपति के आदेश के लिये राज्य सरकार की सहमति की भी आवश्यकता होती है। चूँकि जम्मू-कश्मीर वर्तमान में राज्यपाल शासन के अधीन है, इसलिये राज्यपाल की सहमति को सरकार की सहमति माना जाता है।

■ संघवाद का मुद्दा:

- वलिय पत्र दो संप्रभु देशों के बीच संधि की तरह था, जनिहोंने एक साथ कार्य करने का नरिणय लिये था।
 - **संतोष कुमार बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य एवं अन्य, 2017** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐतिहासिक कारणों से जम्मू-कश्मीर को वशिष दर्जा प्राप्त था।
 - **एसबीआई बनाम ज़फर उल्लाह नेहरू, 2016** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की संवधान सभा की सहमति के बिना अनुच्छेद 370 को नरिस्त नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात् जम्मू-कश्मीर में शांति और सुरक्षा के क्वा हालात हैं?

■ पथराव और उग्रवाद की घटनाओं में कमी:

- **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)** जैसी केंद्रीय एजेंसियों की बढ़ती सुरक्षा उपस्थिति और कार्रवाई के कारण पथराव के मामलों में कमी आई।
- पथराव की घटनाओं की संख्या वर्ष 2019 के 618 से घटकर वर्ष 2020 में 222 हो गई।
- सुरक्षा बलों के घायल होने की घटनाएँ 2019 के 64 से घटकर 2021 में 10 हो गई।

■ नागरिकों के घायल होने की घटनाओं में कमी:

- पेलेट गन और लाठीचार्ज से नागरिकों के घायल होने की संख्या 339 (2019) से घटकर 25 (2021) हो गई।
- जम्मू-कश्मीर में कानून और व्यवस्था में भी सुधार हुआ क्योंकि 2022 में कानून और व्यवस्था की केवल 20 घटनाएँ दर्ज की गई।

■ उग्रवादियों और ओवर-ग्राउंड वरकरो की गरिफ्तारियाँ (OGWs):

- आतंकवादी समूहों के OGW की गरिफ्तारियाँ 2019 के 82 से बढ़कर 2021 में 178 हो गई।
- पछिले 10 महीनों की तुलना में अगस्त 2019 से जून 2022 तक आतंकवादी कृत्यों में 32% की गरिवट आई है।

FEWER INJURIES, DEATHS AMONG SECURITY FORCES

Incidents	52 months before Aug 5, 2019	52 months after Aug 5, 2019
Terrorist-initiated incidents	765 	455 
Attacks on civilians	193 	156 
Civilian casualties	234 	131 
Civilians injured	1,300 	422 
Encounters	390 	338 
Security forces injured	1,098 	334 
Security forces killed	355 	125 

आगे की राह

- कश्मीर के उत्थान के लिये **3E (शक्ति, रोज़गार और नयोजनीयता)** के लिये **10 साल की रणनीति** लागू की जानी चाहिये ।
- जम्मू-कश्मीर में '**शून्य-आतंकवादी घटना**' की योजना 2020 से लागू है और 2026 तक सफल होगी ।
- कश्मीर में वैधता के संकट के समाधान के लिये **अहसा और शांति का गांधीवादी मार्ग** अपनाया जाना चाहिये ।
- सरकार **सभी कश्मीरियों तक एक व्यापक आउटरीच कार्यक्रम** शुरू करके अनुच्छेद 370 पर कार्रवाई से उत्पन्न चुनौतियों को कम कर सकती है ।
- इस संदर्भ में कश्मीर समाधान के लिये अटल बहिरि वाजपेयी का **कश्मीरयित, इंसानयित और जम्हूरयित (कश्मीर की समावेशी संस्कृति, मानवतावाद एवं लोकतंत्र)** का संस्करण राज्य में सुलह की ताकतों की आधारशिला बनना चाहिये ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. सयाचनि हमिनद कहाँ स्थिति है? (2020)

- (a) अक्साई चनि के पूरव में
(b) लेह के पूरव में
(c) गलिंगटि के उत्तर में
(d) नुबरा घाटी के उत्तर में

उत्तर: (d)

परश्न . नमिनलखिति में से कौन सा सबसे बड़ा (कषेतरफल के अनुसार) लोकसभा नरिवाचन कषेतर है? (2008)

- (a) काँगड़ा
(b) लद्दाख
(c) कच्छ
(d) भीलवाड़ा

उत्तर: (b)

/?/?/?/?/?:

प्रश्न. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट "जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध" लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राज-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिये। (2016)

प्रश्न. आंतरिक सुरक्षा और नयितरण रेखा (LoC) सहित म्याँमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिये। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में नभई गई भूमिका की भी वविचना कीजिये। (2020)

प्रश्न. जम्मू-कश्मीर में 'जमात-ए-इस्लामी' पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं (ओ.जी.डब्ल्यू.) की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उपप्लव (बगावत) प्रभावति क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं द्वारा नभई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजिये। भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं के प्रभाव को नषिप्रभावति करने के उपायों की चर्चा कीजिये। (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/12-12-2023/print>

